संख्या- 03 / 2018/41/22-4-2018-100(ब)/16

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 17 जनवरी, 2018

विषय- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुपूरक मांग के माध्यम से हुई बजट व्यवस्था की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-959/बजट-1, दिनांक- 08-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक 27.12.2017(प्रति संलग्न) में निहित व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में कारागारों में लम्बित विद्युत देयों के भुगतान हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत रू0 7,00,00,000/-(रूपया सात करोड़ मात्र) की धनराशि वचनबद्ध /आवश्यक कार्यों पर व्यय/वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(क) वित्तीय वर्ष 2017-2018 की शेष अवधि में योजनाओं/परियोजनाओं पर दिनांक 31 मार्च 2018 तक व्यय/वास्तविक उपयोग की सीमा तक ही आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की जायें तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खातों में जमा न किया जाय।

(ख) परियोजनाओं पर व्यय हेतु कार्यदायी संस्थाओं को उतनी ही धनराशि स्वीकृत की जाये, जितनी दिनांक 31 मार्च,2018 तक परियोजनाओं पर व्यय होने की सम्भावना हो। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-2(12) (घ) एवं 2 (12)(च) के अनुसार अवमुक्त धनराशि प्रस्तर 10 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दो-दो माह की आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर, कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जाय। निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि सम्बन्धी स्वीकृति आदेश में प्रस्तर-10 में आहरण हेतु उल्लिखित व्यवस्था का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाय।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं 20 नवम्बर, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार-09-विद्युत देय मद के नामे डाला जायेगा एवं उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03.08.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-03/2018/41(1)/22-4-2018-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in